संख्या–2400/26–2–2010–3मु0स0/10

प्रेषक,

भूपेन्द्र सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 3 अगस्त ,2010

विषय **उ0प्र0 मुख्य मंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के अन्तर्गत डाटा इन्ट्री के सत्यापन के बाद सूचियों के प्रकाशन तथा अग्रेतर कार्यवाही के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–2276/26–2–2010–3मु0स0/10,दिनांक 27 जुलाई,2010 का अवलोकन करने का कष्ट करें। इस संबंध में जिलाधिकारियों द्वारा प्राप्त वीडियो कान्फ्रेंसिंग के फीड बैक के आधार पर मुझे निम्न बिन्दुओं पर और विस्तृत मार्गदर्शक बिन्दु जारी करने के निर्देश हुए हैं:–

1. गांव सभा की बैठकों के आयोजन हेतु पूर्व निर्धारित 30 दिन का समय दिए जाने के स्थान पर अब 15 दिन का समय आपत्तियां मागने के लिए दिया जाय, जिससे इसी माह के अन्त तक अन्तिम चयन व अग्रेतर कार्यवाही पूर्ण की जा सके।

2. सूचियों के प्रकाशन के साथ साथ योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन एवं अंकों की गणना के आधार को भी संलग्न प्रारूप पर गांव सभा की बैठकों एवं अन्य माध्यमों से प्रचारित किया जाय जिससे लाभार्थियों के चयन में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

3. अन्तिम रूप से चयनित लाभार्थियों के प्रार्थना पत्र भरवाते समय उनके सर्वेक्षण सम्बन्धी मूल सर्वेक्षण प्रपत्र को भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाय तथा सर्वेक्षण पत्र पर आवेदक के हस्ताक्षर इस आशय से करा लिए जायं कि सवेक्षण में दी गयी समस्त सूचनायें सही हैं। सर्वेक्षण प्रपत्र की एक कम्प्यूटर प्रति कार्यालय अभिलेख के रूप में भी अनुरक्षित की जाय।

4. अनेक जनपदों में डाटा इण्ट्री पूर्ण होने के उपरान्त यदि यह स्थिति सामने आयी है कि कुछ लाभार्थी सर्वेक्षण से छूट गए हैं तो ऐसे मामलों में पूर्णतया संतुष्ट होकर जिलाधिकारी द्वारा स्थानीय स्तर पर कार्यवाही पूर्ण कर ली जाय तथा उसकी रिपोर्ट शासन को की जाय जिससे राज्य स्तरीय डाटा में वांछित संशोधन किया जा सके।

5. सूची संख्या–2 जो स्वतः सम्मिलित परिवारों के सम्बंध में है, को विशेष रूप से ग्राम सभा की बैठकों में समस्त ग्रामवासियों के समक्ष देखे जाने की

आवश्यकता है तथा इस सूची में प्रत्येक व्यक्ति की गहन जांच पड़ताल किये जाने के उपरान्त ही उसे लाभार्थी सूची में अन्तिम रूप से चयनित किया जाय। स्वतः सम्मिलित परिवारों में अधिसूचित आदिम जनजाति समूह के परिवारों को भी सम्मिलित किया गया है। इस सम्बंध में यह स्पष्ट करना है कि उत्तर प्रदेश में अधिसूचित आदिम जनजाति समूह में मात्र एक ही जनजाति **''बुक्सा''** आती है जो मुख्य रूप से मात्र जनपद बिजनौर में एक छोटे क्षेत्र में सीमित है। यदि इसके अतिरिक्त किसी परिवार को अधिसूचित आदिम जनजाति समूह के अन्तर्गत किसी अन्य जनपद की स्वतः सम्मिलित लिस्ट में रखा गया है तो वह उचित नहीं है। अतः उन्हें सर्वेक्षण की सूची में डालकर स्कोर के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाय।

6. नगर क्षेत्र में वार्डो के लाभार्थियों हेतु प्रकाशित होने वाली तृतीय सूची में संबंधित वार्ड के पते अंकित करने हेतु साफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन करके उसे एन.आई.सी. के माध्यम से डिस्पैच कर दिया गया है अतः संबंधित नगर क्षेत्रों में अन्तिम चयनित सूची लाभार्थियों के पते के विवरण के साथ प्रकाशित की जा सकती है।

कृपया उपरोक्त अतिरिक्त मार्गदर्शक बिन्दुओं के आधार पर योजना के सफल एवं समयबद्ध कार्यान्वयन हेतु अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकःयथोक्त।

भवदीय,

(भूपेन्द्र सिंह)
सचिव।

संख्या-२५०० (1)/26-2-2010-3मु0स0/10-तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया समस्त जिलाधिकारी/मण्डलायुक्तों को एन0आई0सी0 के ई-मेल के माध्यम से अविलम्ब भिजवाने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(भवनाथ)
विशेष सचिव।

संलग्नक

मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के अन्तर्गत जारी की गयी सूचियों का आधार।

1. निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्ति प्रारम्भिक सर्वेक्षण में योजना से स्वतः बाहर रखे गये है:–

1.	परिवार में कोई बी0पी0एल0 अथवा अन्त्योदय कार्डधारक अथवा वृद्धा/विधवा/विकलांग पेंशन धारक हो ।
2.	ऐसे परिवार जिनके पास सीमांत कृषक से ज्यादा भूमि उपलब्ध है (बुन्देलखण्ड क्षेत्र में यह सीमा 4 हेक्टेयर रखी गयी है)
3.	ऐसे परिवार जिसके पास किसी भी प्रकार का मोटराइज्ड वाहन जैसे–जीप, कार, थ्री व्हीलर अथवा स्कूटर/मोटर साइकिल है
4.	ऐसे परिवार जिसके पास कम से कम एक मशीनीकृत कृषि उपकरण जैसे–ट्रैक्टर, पावर टिलर, थ्रेसर या हार्वेस्टर हो
5.	ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी/एन0जी0ओ0/निजी संगठनों में नियमित वेतनभोगी कर्मचारी हो
6.	ऐसे परिवार जिसका कोई भी सदस्य इनकम टैक्स देता हो

2. निम्नलिखित श्रेणी के परिवारों को योजना में स्वतः सम्मिलित माना गया है:–

1.	अधिसूचित आदिम जनजाति समूह के परिवार
2.	ऐसे परिवार जिसकी मुखिया एकल महिला (जो या तो विधवा/तलाकशुदा या 35 वर्ष से ऊपर की तथा अविवाहित) (उपरोक्त तालिका सं0–1 से आच्छादित न हो)
3.	ऐसे परिवार, जिसमें विकलांग व्यक्ति मुखिया हो (उपरोक्त तालिका सं0–1 से आच्छादित न हो)
4.	ऐसे निराश्रित परिवार जिनकी जीविका का कोई साधन न हो।
5.	ऐसे परिवार जो गृह/आश्रय विहीन हो

3. तीसरी सूची में कट आफ मार्क के निर्धारण हेतु अंकों की गणना का आधार

निर्धारित अंक	परिवार में भूमि की उपलब्धता
5	शून्य भूमि
4	1.0हेक्टेयर असिंचित अथवा 0.5 हेक्टेयर सिंचित भूमि से कम
3	1.0 हेक्टेयर से अधिक किन्तु 2.0 हेकटेयर से कम असिंचित भूमि अथवा 0.5 से 1.0 हेक्टेयर तक सिंचित भूमि
2	2.0हेक्टेयर से अधिक किन्तु 4.0 हेक्टर से कम असिंचित अथवा 1.0 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक सिंचित भूमि
1	4.0हेक्टेयर असिंचित अथवा 2.0 हेक्टेयर सिंचित भूमि से अधिक
निर्धारित अंक	**घर का प्रकार**
5	फूस की छत का कच्चा मकान
4	खपरैल का कच्चा मकान
3	अर्धपक्का एवं शासकीय योजनान्तर्गत आवंटित मकान
2	पक्का मकान
1	नगरीय टाइप
निर्धारित अंक	**श्रम स्थिति**
5	बन्धुवा मजदूरी
4	महिला एवं बाल श्रमिक
3	मात्र वयस्क महिला श्रमिक तथा कोई बाल श्रमिक नहीं
2	केवल वयस्क पुरूष एवं वयस्क महिला
1	केवल वयस्क पुरूष
निर्धारित अंक	**जीविका का साधन**
5	दैनिक श्रमिक
4	खेती
3	शिल्पकार
2	वेतन
1	अन्य(जैसे दुकान/व्यवसाय आदि)
निर्धारित अंक	क्या परिवार में क्षय रोग,कुष्ठ रोग,विकलांगता अथवा मानसिक बीमारी है ?
2	परिवार में क्षय रोग,कुष्ठ रोग,विकलांगता अथवा मानसिक बीमारी या एच्.आई.वी.एड्स

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न विवरण के अनुसार अतिरिक्त अंक दिए जायेंगे:

निर्धारित अंक	वर्ग
3	अनुसूचित जाति
3	अनुसूचित जनजाति
2	विमुक्ति जाति
1	पिछड़ा वर्ग